अधिसूचना संख्या 69/2015 [एफ.सं.वी.27015/4/2014-एसओ(एनएटी.कॉम)]/एसओ 43, दिनांक 11-2-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 2370 (ङ) दिनांक 3.10.2008 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 6 पर अधिसूचित किया था, "क) दिशा स्पेशल स्कूल और थेरेपी सेंटर, ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, ग) "दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट, 319, रेसकोर्स टावर्स, गोत्री रोड, वडोदरा 390007- गुजरात" द्वारा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में, अनुमानित लागत 1.24 करोड़ रुपये पर, वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए; जिसे अधिसूचना संख्या 1385 (ई) दिनांक 14.6.2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ1963 दिनांक 31.7.2014 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि परियोजना लागत '1.24 करोड़ रुपये' से बढ़कर '1.24 करोड़ रुपये तथा 2.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आधारभूत निधि' हो जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन परियोजना लागत को '1.24 करोड़ रुपए' से संशोधित कर '1.24 करोड़ रुपए तथा 2.50 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि' करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, अधिसूचना संख्या एसओ 2370 (ई) दिनांक 3.10.2008 को निम्नलिखित प्रभाव के लिए संशोधित करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 के सामने तालिका में, कॉलम (4) में, धारा 35 कग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में, अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा। "1.24 करोड़ रुपए" के स्थान पर "1.24 करोड़ रुपए तथा 2.50 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि" अक्षर, आँकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

■■